भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1102**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए पारदर्शी दिशा- निर्देश**

**1102. श्रीमती टी. रत्नाबाई:**

**श्री मोहम्मद अली खानः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणी-स्तरों को ध्यान में रखते हुए जुर्माना/शास्ति हेतु पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्य-स्थितियों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से इसकी ओर से पहलें की हैं;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
3. सरकार के पास इस संबंध में लंबित मांगें कौन-कौन सी हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) से (ग):** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। सरकार उस भूमिका का निर्वहन करती है जो उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए हैं। इस अधिनियम की धारा 27 (ख) के तहत आयोग को जुर्माना लगाने का अधिकार है। यह धारा आयोग को, प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के लिए, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। तथापि धारा 46 में आयोग को निम्नतर शास्ति लगाने का अधिकार है। धारा 46 की शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (निम्नतर शास्ति) विनियम, 2009 तैयार किए हैं।

\*\*\*\*\*